

प्रो-फार्मा ४

(भविष्य निर्वाह निधि से अंतिम निष्कासन (Final Withdrawal) की स्वीकृत प्रदान करने के आदेश का प्रारूप) कार्यालय ज्ञाप

व्यक्तिगत अधिकारी,

1. एतद्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी निखिल अशोक, ५२ जे.एस. अर्थर को ८५५३३ सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या एल०जे०यू० १९७६ से ३१५३ प्रयोजन के व्यय वहन करने हेतु २०,००,०००/- रुपये (शब्दों में) बी.एस.सी. नियम संख्या १६(१)(१)(१) अर्थात् १३/१(१) के अनुसार स्वीकार किया जाता है।

2. अंतिम निष्कासन की धनराशि श्री/श्रीमती/कुमारी निखिल अशोक के ७४,९१०/- जमा अवशेष के आधे/तीन चौथाई भाग से अधिक नहीं होगी। मूल नियमावली (फण्डामेंटल रूल) में यथापरिभाषित उनका मूल वेतन ७४,९१०/- रु० है।

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी निखिल अशोक ने दिनांक १२.०६.२००५ को अपनी सरकारी सेवा को पन्द्रह/द्विंशत् वर्ष पूरे कर लिये हैं, १० वर्ष में अधिवार्षिकी पर सेवा निवृत्त होंगे/होंगी।

4. दिनांक ०७.१२.२०२० को उपलब्ध कराये गये अभिलेख की स्थिति के अनुसार श्री/श्रीमती/कुमारी निखिल अशोक के खाते में जमा अवशेष राशि का ब्योरा निम्न प्रकार है।

- (1) वर्ष २०१९-२० की लेखा-पर्ची/सामान्य भविष्य निधि पास बुक की विवरणिका के अनुसार जमा अवशेष की धनराशि ६१,५२,१०२/- रु०
- (2) माह मार्च, २० से माह मार्च, २० तक प्रतिमाह की दर से अभिदान ३,६०,०००/- रु०
- (3) माह से माह तक प्रतिमाह रु०
- (4) माह की दर से अग्रिम की गसूली रु० (क)
- (5) मद (१), (२) तथा (३) का योग रु० ६५,१२,१०२/-
- (6) बाद में स्वीकृत अंतिम निष्कासन, यदि कोई हो रु०
- (7) स्वीकृत प्रदान करने की तिथि को अवशेष मद (४) में से मद (५) घटाइये रु०
- (क) वर्ष की लेखा-पर्ची के पश्चात् इस कार्यालय द्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी को पिछली बार आदेश संख्या दिनांक द्वारा रु० का कोड अंतिम निष्कासन स्वीकार नहीं किया गया था।
- (ख) ज्ञात हुआ है कि श्री को (जैसा कि उन्होंने बताया) (स्वीकृत कर्ता) द्वारा पिछली बार अंशतः अंतिम निष्कासन के रूप में रु० की स्वीकृत प्रदान की गई थी।

दिनांक.....

सक्षम अधिकारी,
न्यायाधीश,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।